न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–186/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00167)

1. नौरंगराम पुत्र सुरजाराम, जाति बावरिया, निवासी देवीपुरा हाल झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 19.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ ने अपीलान्ट को खसरा नम्बर 121 रकबा 16.07 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ में 338 वर्गमीटर भूमि पर बाड़ा व छप्पर बनाकर अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश दिनांक 29.10.2010 पारित किया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनु के समक्ष प्रस्तुत की गई तो न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने भी प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2011 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 121 का रकबा 16.07 हैक्टयर गैर मुमकीन जोहड़ पर अपीलार्थी का अतिक्रमण की पटवारी हल्का ने जो शिकायत प्रस्तुत की उसमें खसरा नम्बर 121 का सम्पूर्ण रकबा गैर मुमकीन जोहड़ प्रस्तुत किया है जबकि भूमि खसरा नम्बर 121 का सम्पूर्ण रकबा गैर मुमकीन जोहड़ कभी भी नही रहा है बल्कि भूमि खसरा नम्बर 121 की किस्म गैर मुमकीन आबादी, गैर मुमकीन जाहेड़, गैर मुमकीन चौब चली आ रही है और जमाबन्दी में भी इसी अनुसार अंकित चली आ रही है जिससे साफ जाहिर होता है कि पटवारी हल्का ने द्वेषतापूर्ण अपीलान्ट के खिलाफ गलत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की और अधीनस्थ न्यायायलय ने प्रकरण की जॉच किये बिना ही अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 भू राजस्व अधिनिरयम को नोटिस बिना माईण्ड अप्लाई किये जारी करने में कानूनी भूल कारित की है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं बिना न्यायिक विवेक अप्लाई किये ही पारित किये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2010 एवं जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2011 को निरस्त फरमाया जावें।

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में भी धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखली एवं पैनल्टी कायम की गई थी जो दिनांक 25.06.2006 को अपीलान्ट द्वारा राजकोष में जमा भी करवाई गई है जिससे यह भी साबित होता है कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है जिसका आवंटन/नियमन कानूनन नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2011 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2011 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
19/1/23